

**कार्यालय : शबनम कदीर मंसूरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजगढ़ म.प्र.**

क्रमांक :

राजगढ़, दिनांक : .....

**// कार्यालयीन आदेश //**

श्रीमती शिवानी धुर्वे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खिलचीपुर के मातृत्व अवकाश उपरांत अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने के फलस्वरूप मैं शबनम कदीर मंसूरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजगढ़, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-14 एवं 15(2) के अंतर्गत एतद् द्वारा आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2023 में **तहसील मुख्यालय खिलचीपुर के संबंध में** निम्नवत संशोधन और विलोपन करती हूँ:-

15.	सुश्री अनुष्का शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खिलचीपुर	आरक्षी केन्द्र खिलचीपुर	1. सारणी के कॉलम नं. 2 में वर्णित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न धारा-173 दं.प्र. सं. के तहत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा एवं परिवाद प्रकरण(ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाही जिसे किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्यविभाजन पत्रक के द्वारा आवंटित किया गया हो, को छोड़कर)। 2. अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.)। 3. समय-समय पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई हेतु अंतरित किए गए आपराधिक एवं परिवाद प्रकरण। 4. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत होने वाली कस्टोडियल डेथ (मुत्यु जॉच) की सभी आवश्यक कार्यवाही एवं जॉच।
		01. आबकारी विभाग, 02. श्रम विभाग, 03. नापतौल विभाग, 04. नगरपालिका / नगर पंचायत 05. खाद्य विभाग 06. खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण 07. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा पंजीबद्ध प्रकरण 08. अन्य समस्त शासकीय विभाग	1. सारणी के कॉलम नं. 2 में वर्णित विभागों द्वारा तहसील खिलचीपुर की सीमा क्षेत्र में बनाये गये समस्त आपराधिक प्रकरण (म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) के प्रकरणों को छोड़कर)

		तहसील खिलचीपुर के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्र व वन परिक्षेत्र	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, वन विधियों तथा खान एवं खनिज विधियों से संबंधित तहसील खिलचीपुर के अंतर्गत सुनवाई योग्य प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक एवं परिवाद प्रकरण।</li> <li>2. वन अधिनियम एवं पर्यावरणीय कानूनों से संबंधित समस्त मामले</li> <li>3. गोण खनिज से संबंधित अपराध।</li> <li>4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन मजिस्ट्रेट न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विचारण योग्य प्रकरण।</li> <li>5. कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण</li> </ol>
		तहसील न्यायालय खिलचीपुर के क्षेत्राधिकार के समस्त आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत आने वाले प्रकरण	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. भा.दं.सं. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, म.प्र.संशोधन अधिनियम धारा 354ए, 366, 366ए, 366बी, 376ए से 376डी, 493, 498, 498ए, 509, अनैतिक व्यापार, निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्टरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 एवं ऐसे अन्य अपराध जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जाते हैं, के पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन या परिवाद से उद्भूत समस्त प्रकरण। (ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाही जिसे किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्यविभाजन पत्रक के द्वारा आवंटित किया गया हो, को छोड़कर)।</li> <li>2. दं.प्र.सं. के अध्याय-9 की धारा 125 से 128 के मामले एवं घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्र एवं परिवाद (परिवार न्यायालय के अंतर्गत आने वाले मामलों को छोड़कर)</li> </ol>
16.	श्रीमती शिवानी धुर्वे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खिलचीपुर	आरक्षी केन्द्र भोजपुर एवं आरक्षी केन्द्र छापीहेडा (तहसील खिलचीपुर के अंतर्गत आनेवाला क्षेत्र)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. सारणी के कॉलम नं. 2 में वर्णित आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न धारा-173 दं.प्र. सं. के तहत प्रस्तुत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा एवं परिवाद प्रकरण(ऐसे अन्य प्रकरण व कार्यवाही जिसे किसी अन्य मजिस्ट्रेट को इस कार्यविभाजन पत्रक के द्वारा आवंटित किया गया हो, को छोड़कर)।</li> </ol>

			2. अंतिम प्रतिवेदन (एफ.आर.)। 3. समय-समय पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई हेतु अंतरित किए गए अपराधिक एवं परिवाद प्रकरण। 4. क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के अंतर्गत होने वाली कस्टोडियल डेथ (मुत्यु जाँच) की सभी आवश्यक कार्यवाही एवं जाँच।
		तहसील खिलचीपुर के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्र	तहसील खिलचीपुर में स्थित समस्त थाना क्षेत्रों से उत्पन्न परकाम्य लिखत अधिनियम, पेमेन्ट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अधीन प्रस्तुत होने वाले समस्त परिवाद पत्र।

**नोट:-** कॉलम 03 में वर्णित मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति की दशा में कॉलम 04 में वर्णित मजिस्ट्रेट द्वारा कथन अंकित किये जायेंगे।

### अनुसूची क्रमांक 01

इस अनुसूची के द्वारा धारा 164 दं.प्र.सं. के अधीन कथन अंकित किये जाने हेतु नीचे दर्शित आरक्षी केन्द्रों के अनुसार निम्नानुसार कार्य सौंपा जाता है।

#### (सूची- 01)

भा.दं.सं. की धारा 312, 313, 314, 315, 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, म.प्र. संशोधन अधिनियम धारा 354ए, 366, 366ए, 366बी, 376ए से 376डी, 493, 498, 498ए, 509, अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्टरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 एवं ऐसे अन्य अपराध जो केवल महिलाओं के विरुद्ध किए जाते हैं, (पॉक्सो अधिनियम को सम्मिलित करते हुये) से संबंधित मामले में धारा 164 दं.प्र.सं. के अधीन कथन अंकित करने हेतु आरक्षी केन्द्रों का आवंटन निम्नानुसार किया जाता है :-

क्रं	आरक्षी केन्द्र	मजिस्ट्रेट का नाम	मजिस्ट्रेट का नाम
1	2	3	4
<b>न्यायालय- खिलचीपुर</b>			
5	खिलचीपुर, भोजपुर, छापीहेडा (तहसील खिलचीपुर से संबंधित)	श्रीमती शिवानी धुर्वे, जे.एम.एफ.सी., खिलचीपुर	सुश्री दिव्या गुप्ता जे.एम.एफ.सी., जीरापुर

(शबनम कदीर मंसूरी)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
राजगढ़ म.प्र.

( सूची- 02 )

सूची - 01 में वर्णित अपराधों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के अपराधों के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 दंप्रसं के अधीन कथन अंकित करने हेतु आरक्षी केन्द्रों का आवंटन निम्नानुसार किया जाता है:-

क्र.	आरक्षी केन्द्र	मजिस्ट्रेट का नाम	मजिस्ट्रेट का नाम
1	2	3	4
न्यायालय खिलचीपुर			
12	आरक्षी केन्द्र खिलचीपुर, तहसील खिलचीपुर के अंतर्गत आने वाले वन एवं पर्यावरण विधि के मामले, आबकारी अधिनियम, श्रम विभाग, नापतौल विभाग, नगर पालिका / नगर पंचायत, अन्य शासकीय विभाग	श्रीमती शिवानी धुर्वे, जे.एम.एफ.सी., खिलचीपुर	सुश्री दिव्या गुप्ता जे.एम.एफ.सी., जीरापुर
13	आरक्षी केन्द्र भोजपुर, आरक्षी केन्द्र छापीहेडा (तहसील खिलचीपुर से संबंधित)	सुश्री अनुष्का शर्मा जे.एम.एफ.सी., खिलचीपुर	श्री मनोज कुमार गोयल जे.एम.एफ.सी., जीरापुर

(शबनम कदीर मंसूरी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

राजगढ़ म.प्र.

राजगढ़, दिनांक : .....

पृ.क्र. : /2023  
प्रतिलिपि,

- 1 सुश्री अनुष्का शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खिलचीपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 2 श्रीमती शिवानी धुर्वे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खिलचीपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 3 श्री मनोज कुमार गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जीरापुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 4 श्रीमती दिव्या गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जीरापुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 5 पुलिस अधीक्षक जिला राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6 जिला अभियोजन अधिकारी राजगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 7 सांख्यिकी लेखक, कार्यालय माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, राजगढ़ की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 8 सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सत्र न्यायालय राजगढ़ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- 9 अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, खिलचीपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(शबनम कदीर मंसूरी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

राजगढ़ म.प्र.

